दिनाक 15.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–15/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफःहत्या के अपराध में जनपद मथुरा से रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी इलियास को एसटीएफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 14.10.2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद मथुरा से हत्या के अपराध में वांछित रू0 25,000/–के इनामी अपराधी इलियास को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

इलियास पुत्र बुद्धि निवासी नगला सिरौली, थाना कोसीकलाँ, जनपद मथुरा।

बरामदगीः

1– एक अदद देशी तमंचा नाजायज 12 बोर
2–04 अदद कारतूस नाजायज 12 बोर
3–01 वोटर आई0डी0 कार्ड इलियास के नाम से
4–रू0 660/– नकद

गिरफ्तारी का स्थान/समय

जनपद मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्रार्न्तगत धनोता मोड़ दिनांक 14.10.2020 समय 21.35 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत कुछ दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर चोरी, लूट, अपहरण, हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके अनुक्रम में श्री राकेश पालीवाल, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा की टीम दिनांक 14–10–2020 को जनपद मथुरा मे फरार/पुरस्कार घोषित अपराधी की तलाश में रवाना हुई थी। विकसित अभिसूचना के आधार पर एस0टी0एफ0 टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि रू0 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी इलियास जोकि मु0अ0सं0 51/20 धारा 302/307 भादवि थाना कोसीकला मथुरा में वॉछित होने के फलस्वरूप लगातार फरार चल रहा है, जनपद मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में धनोता मोड़ पर आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 टीम थाना कोसीकला मथुरा पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये उपरोक्त स्थान पर पहुंचकर समय करीब 21.35 बजे धनोता मोड शाहपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया गया कि वह ग्राम सिरौली थाना कोसीकला जनपद मथुरा का रहने वाला है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह लगभग 10 वर्षों से अवैध हथियारों (तंमचा, पिस्टल तथा बन्दूक) की सप्लाई करता है तथा अ.सं. 51/20 धारा 302/307 भादंवि. वर्ष 2020 में मेरे विरूद्व थाना कोसीकला में पंजीकृत हुआ था, जिसमें मेरे छोटा पुत्र शाहरूख उर्फ भूरा वर्तमान में मथुरा जेल में निरूद्ध है तथा मैं फरार चल रहा हूँ, मुझे जानकारी है कि मथुरा पुलिस द्वारा मेरे ऊपर इनाम घोषित कराया गया है। पुलिस से बचने तथा पुलिस के भय से मैं छिपकर झिरका फिरोजपुर जिला नूह हरियाणा में रह रहा था। अभियुक्त इलियास द्वारा यह भी बताया कि फरार होने के बाद उसने अपने नाम से म.नं. 68ए गांव सिरौली तहसील पुन्हाना जिला मेवात के नाम से आई0डी0 तैयार करवायी। जिसके आधार पर उसने वहां काम धन्धा शुरू किया। वह एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नही रहता था। वह फरारी के दौरान अपने पुत्र की ससुराल ग्राम चनियां थाना पहाडी जिला भरतपुर राजस्थान तथा ग्राम नेहदा थाना पुन्हाना जिला नूह हरियाणा में भी रहा था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त इलियास को थाना कोसीकला जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/20 धारा 302/307 भादंवि. में दाखिल कराया गया है व बरामदशुदा अवैध असलहा के सम्बन्ध में थाना कोसीकला पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 735/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत कराया गया है,जिसमें अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त इलियास पुत्र बुद्धि का ज्ञात आपराधिक इतिहास

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना
1	542/07	धारा 279/337/338/427/504 भादंवि.	थाना कोसीकला
2	51/20	धारा 307.302 भादवि	थाना कोसीकला
3	806/15	धारा 307.323.506 भादवि	थाना कोसीकला
4	688/19	धारा147.148.149.336.307.323.427.504.506 भादवि 07 सी0एल0ए0 एक्ट	थाना कोसीकला
5	735/20	3/25 आर्म्स एक्ट	थाना कोसीकला

जनपद महराजगंज़/थाना श्यामदेउरवा

- **लूट की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के 3 लाख 53 हजार 450 रूपये नगद,**
- **घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.10.2020 को थाना श्यामदेउरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दो अभियुक्त 1—शमशेर खान 2— नवीनधर को गिरफ्तार किया गया,जिनके कब्जे/निशादेही पर 03 लाख 53 हजार, 450 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल,02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तो द्वारा दिनॉक 13.10.2020 को वादी से लूट की घटना कारित की गयी थी ,जिसके सम्बन्ध में थाना श्यामदेउरवा पर मु0अ0सं0—212/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृतकर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमशेर खान निवासी—खेम पिपरा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज।
2—नवीनधर निवासी —खेम पिपरा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1—03 लाख 53 हजार, 450 रूपये नगद,
2— घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल,
3—02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद फतेहगढ़/कोतवाली फर्रूखाबाद

- **चोरी की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के 02 लाख 65 हजार रूपये नगद,**
- **चोरी के सोने चॉदी के जेवरात, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.10.2020 को कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मशीनी चौराहे से अभियुक्त 1—दीपक, 2—रवी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 लाख 65 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने चॉदी के जेवरात, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है ,जो किराये का मकान लेकर शाम को मकानो की रैकी और रात्रि में चोरी की घटना कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद फतेहगढ के विभिन्न थानो में चोरी, लूट,

आर्म्स एक्ट, गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट के 17 मुकदमें तथा रवी के विरूद्ध डकैती, आर्म्स एक्ट के 3 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दीपक निवासी कुटरा, फतेहगढ़ ।

2–रवी निवासी नगला मसेनी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 02 लाख 65 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने चॉदी के जेवरात आदि।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 कारतूस।

<u>जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **तीन अभियुक्त गिरफ्तार, 306 भरे हुये एलपीजी गैस सिलेण्डर बरामद**

दिनांक 15.10.2020 को थाना रिफाइनरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–सोहनलाल, 2–वीरसिंह ,3–दिगम्बर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 306 भरे हुये एलपीजी गैस सिलेण्डर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित इण्डेन एलपीजी गैस प्लांट की पार्किंग से ट्रक में लदे 306 इण्डेन के भरे हुये सिलेण्डर मय ट्रक के चोरी हो गये थे, जिसके संबंध में थाना रिफाइनरी पर मु0अ0सं0 252/2020 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस संबंध में थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सोहनलाल निवासी कुरकन्दा,थाना फरह जनपद मथुरा।

2–वीरसिंह निवासी नगरिया चोर नगरिया थाना सदरबाजार जनपद आगरा।

3–दिगम्बर निवासी वाससुजान, थाना कागारौल जनपद आगरा।

<u>बरामदगी</u>

1–306 भरे हुये एलपीजी गैस सिलेण्डर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की 18 दो पहिया वाहन, 03 कटी दो पहिया वाहन व वाहन के पार्टस, आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2020 की रात्रि थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुलावठी रोड़ पर ओबर ब्रिज के नीचे घेराबन्दी कर 08 अभियुक्तों 1—मोनू, 2—राहुल उर्फ खेमा उर्फ बाबा, 3—प्रशान्त, 4—विकास, 5—नितिन , 6—योगेन्द्र, 7—सचिन, 8—गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 मोटरसाइकिल, 03 कटी दो पहिया वाहन व वाहन के पार्टस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर ,02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद बुलन्दशहर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोन निवासी ग्राम खैरपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
2—राहुल उर्फ खेमा उर्फ बाबा निवासी ग्राम खैरपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
3—प्रशान्त निवासी ग्राम मौलाबाद, थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।
4—विकास निवासी ग्राम मौलाबाद, थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।
5—नितिन निवासी ग्राम मौलाबाद, थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।
6—योगेन्द्र निवासी मो0 हीरा कालोनी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद , जनपद बुलन्दशहर।
7—सचिन निवासी बसई सेक्टर —70 नोयडा ,थाना फेस जनपद गौतमबुद्धनगर।
8—गौरव निवासी बसई सेक्टर —70 नोयडा ,थाना फेस जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 18 दो पहिया वाहन,
2—03 कटी दो पहिया वाहन व वाहन के पार्टस,
3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 14.10.2020 रात्रि को थाना चरथावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घिस्सुखेड़ा झाल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी सचिन कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी दिलशाद उर्फ बब्बू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 270/2020 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलशाद उर्फ बब्बू निवासी कुल्हेडी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटरसाइकिल।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड तथा अर्थदण्ड की सजा)

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वारा थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/307/201/376डी/394 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त 1–अंकुर 2– सोनू उर्फ पव्वा को मृत्यु दण्ड की सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद मिर्जापुर/थाना विन्ध्यांचल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना विन्ध्यांचल पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376डी भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद बागपत (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 59 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी धर्मेन्द्र किरठल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 59 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद बिजनौर (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 65 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी कपिल कटारिया उर्फ सोनू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 65 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

————